न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–166 / 2016 निर्णय दिनांक :–20.11.19

उनवानी दावाः–

रामरतन पुत्र कजोड़ जाति मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र कजोड़ जाति मीणा उम्र 50 वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
2. सोराज पुत्र दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
3. राजाराम पुत्र दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–प्रतिवादीगण–

–उपस्थिति –
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 261 रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का ठिकरियाकंला तहसील देवली हाल तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। वादी सी.आर.पी.एफ. में नौकरी करता है और अपनी खातेदारी की भूमि को सीर पेटे (आदोली) पर काश्त करने हेतु अन्य को देता है और अवकाश पर आता जब अपनी खातेदारी की उक्त उर्णित भूमि की देखभाल करता है। वादी की उक्त खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना एवं संबंध नही है प्रतिवादीगण वादी के परिवार के व्यक्ति है, जो बिना किसी वजह के वादी की कृषि को हड़पना चाहते है और वादी के द्वारा अपनी उक्त भूमि के आदोलियो को काश्त करने मे महाहमत पैदा करते है तथा डरा–धमकाकर भगा देते है। जिससे वादी को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग व फसल काश्त करने मे काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादीगण वादी के बाहर रहने व

2

शराफत का अनुचित लाभ उठाकर लठ के जोर पर वादी की वाद वर्णित आराजीयात जबरन पर कब्जा करना चाहते है जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। वादी आगे की फसल काश्त करने हेतु अपने आदोली को मौके पर साफ–सफाई करने गया तो प्रतिवादीगण ने वादी व आदोली को उक्त आराजी मे घुंसने नही दिया और कहा कि तुम्हे जमीन काश्त नही करने देगें और हम ही जबरन काश्त करेगें तथा प्रतिवादीगण वादी के साथ लड़ाई–झकड़ा व मारपीट करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्य के प्रयास को नहीं रोका गया तो प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की जमीन पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लेगें तथा वादी को भूमि वंचित कर बेदखल कर देगें। जिससे वादी को काफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से की जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से सदा के लिए पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिये ऐजेन्ट, नौकर–चाकर या पारिवारिक सदस्यों से वादी को उसकी खातेदारी की भूमि या उसके किसी भी भू–भाग के उपयोग–उपभोग, कब्जे–काश्त में मजाहमत नही करे, जबरन वादी की भूमि कब्जा नही करे, वादी व उसके आदोली को भूमि के उपयोग–उपभोग व फसल काश्त करने में बाधा उप्पन्न नहीं करे तथा पाबंद रहे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने न्यायालय मे आदेशिका के दायीं ओर वादी के. रि. पु. बल जम्मु और कश्मीर में तैनात होने से छुट्टी नही मिलने से साक्ष्य नहीं करवाना चाहता है, लिखकर हस्ताक्षर किये। बहस हेतु निवेदन है।

अधिवक्ता वादी की प्रार्थना पर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। सी. आर.पी.एफ में सर्विस करता है और अधिकतर समय राज्य से बाहर रहता है जिसका नाजायज फायदा प्रतिवादीगण उठाते है और वादी की आराजी भूमि में कब्जेकाश्त में मजामहत करते है। जब भी वादी का आदोल्या वादी की कृषि भूमि पर हांकने जोतने जाता है, उसको डरा–धमकाकर भगा देते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अतः वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का ठिकरिया में वादी ख. नं. 261 रकबा 2.09 है0 का खातेदार है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। वाद अनुसार उक्त आराजी भूमि में प्रतिवादीगण वादी के

कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न करते है। वादी द्वारा उक्त आराजी में खातेदार की हैसियत होने के आधार पर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की आराजी भूमि आराजीयात खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 261 रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का ठिकरियाकंला तहसील तहसील दूनी में वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य माध्यम या अन्य प्रकार से करावे। साथ ही जब वादी का आदोल्या उक्त भूमि में कृषि कार्य हेतु जावे तो उसको किसी भी प्रकार से परेशान नही करे। पाबन्द रहे। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

रामरतन पुत्र कजोड़ जाति मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–वादी–

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र कजोड़ जाति मीणा उम्र 50 वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
2. सोराज पुत्र दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)
3. राजाराम पुत्र दुर्गालाल जाति मीणा उम्र बालिग वर्ष निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–प्रतिवादीगण–

दावा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 166 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बाबू लाल मीणा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की आराजी भूमि आराजीयात खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 261 रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का ठिकरियाकंला तहसील तहसील दूनी में वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य माध्यम या अन्य प्रकार से करावे। साथ ही जब वादी का आदोल्या उक्त भूमि में कृषि कार्य हेतु जावे तो उसको किसी भी प्रकार से परेशान नही करे। पाबन्द रहे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 11 सन् 2019 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए